खान आयुक्त का न्यायालय

अपील वाद संख्या– 09/2026

जिला–मधुबनी

प्रकाश कुमार मिश्रा	....	वादकर्ता
	बनाम	
समाहर्त्ता, मधुबनी एवं अन्य	....	प्रतिपक्ष

आदेश

11.08.2026

1. वर्तमान अपील समाहर्त्ता, मधुबनी के खनन अपील वाद संख्या–09/2026 में दिनांक–08.06.2026 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गयी है।

2. मामला संक्षेप में यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लघु श्रेणी के भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या–24/2025 की जाँच खान निरीक्षक, मधुबनी द्वारा दिनांक–02.08.2025 को की गयी। जाँच में अनुज्ञप्ति आई0डी0 पर उपलब्ध 93 घनफीट बालू के विरूद्ध भौतिक रूप से कोई बालू नहीं पाया गया। जिसके लिए बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2024 (यथा संशोधित) के नियम 56(2)(vi) के आलोक में अनुज्ञप्तिधारी से खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। अनुज्ञप्तिधारी के स्पष्टीकरण को खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा खारिज करते हुए रू0 5,04,940/– का दंड अधिरोपित किया गया, जिसके विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समाहर्त्ता, मधुबनी के समक्ष अपील दायर की गयी। समाहर्त्ता, मधुबनी द्वारा भी अपने आदेश दिनांक–08.06.2026 में खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी के आदेश को यथावत रखा गया है।

3. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2024 (यथा संशोधित) का नियम 56(2)(vi) निम्न प्रकार हैः–

''वैध चालान से अंतर मात्रा के भंडारण के मामले में उप नियम–2(iv) के अनुसार खनिज मूल्य के अतिरिक्त जुर्माना के रूप में रू0 5,00,000/– (रूपये पांच लाख) दंडनीय होगा। परिवहन के मामले में मूल्यांकन की गयी

मात्रा का निर्धारण केवल धर्मकांटा एवं भंडारण की स्थिति में ड्रोन/टोटल स्टेशन/थियोडोलाइट आदि से किया जायेगा।''

उक्त नियम के अनुसार भंडारण स्थल पर भंडारित मात्रा के आकलन के लिए ड्रोन/टोटल स्टेशन/थियोडोलाइट का उपयोग आवश्यक है, जो वर्तमान मामला में नहीं किया गया है। खनिज विकास पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, मधुबनी के आदेश में अनुज्ञप्ति की शर्त की कंडिका–15 का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया है कि यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भंडारित बालू को तारपोलिन से ढँक कर रखा गया होता तो बालू यथावत रहता। किन्तु अनुज्ञप्तिधारी से इस अनियमितता के लिए स्पष्टीकरण की मॉग नहीं की गयी है। जिस उल्लंघन के आधार पर कोई आदेश पारित किया जा रहा हो, उसके लिए यह आवश्यक है कि उल्लंघन के सभी बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख पूछे जाने वाले स्पष्टीकरण में हो। यह भी वर्तमान मामला में नहीं किया गया है।

4. उपरोक्त कारणों से समाहर्त्ता, मधुबनी के आदेश दिनांक–08.06.2026 एवं खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी के आदेश दिनांक–13.04.2026 को खारिज करते हुए मामले को समाहर्त्ता, मधुबनी के समक्ष पुनः रिमांड किया जाता है। समाहर्त्ता, मधुबनी निदेशित हैं कि वह बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2024 (यथा संशोधित) के नियम 56(2)(vi) के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए निरीक्षण में पाये जाने वाले अन्य अनियमितता के लिए भी कारण पृच्छा कर नियमानुसार उचित आदेश पारित करेंगे।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को अनुपालन हेतु भेज दी जाए।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–	ह0/–
(अवनीश कुमार सिंह)	(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव–सह–खान आयुक्त,	सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,	खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।	बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 5270 एम0, पटना, दिनांक— 12/08/26

प्रतिलिपिः— समाहर्त्ता, मधुबनी / खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, मधुबनी / श्री प्रकाश कुमार मिश्रा, पिता श्री सियाराम मिश्रा, ग्राम +पोस्ट+थाना— लखनौर, जिला मधुबनी ई—मेल— krshanuk@gmail.com/prakashh4me@gmail.com/ आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

12/8/26

विधि पदाधिकारी